भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.
(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)
GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW

शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)
BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53
FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

अभिव्यक्ति की अभिरूचि क्रं. 4053 दिनांक – 09/06/2025

मिल्क टेंकर से तरल दूध परिवहनकर्ता कार्य हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति

भोपाल दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत स्थित विभिन्न बी.एम.सी मार्गों से भोपाल दुग्ध संयंत्र तक एवं दुग्ध शीत केन्द्र नरसिंहगढ़, पचौर, शुजालपुर, आष्टा, बैतूल, मुलताई एवं भविष्य में अन्य दुग्ध शीतकेन्द्र तक के लिए दुग्ध परिवहन कार्य हेतु इंसुलेटेड मिल्क टेंकर संलग्न किए जाने हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते है। प्रतिभागी (इच्छुक एवं सक्षम) आवेदनकर्ता इस कार्य के नियम एवं शर्तों एवं स्थानों की विस्तृत जानकारी एमपीसीडीएफ भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com से अवलोकन हेतु प्राप्त कर सकते है। मिल्क टेंकर दूध परिवहनकर्ता की नियुक्ति कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है।

स.क्र.	विवरण	कार्यवाही विवरण
1.	आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक 10.06.2025 को www.mptenders.gov.in से रू. 1000/– के क्रय मूल्य पर समय दोपहर 12:00 बजे से
2.	आवेदन ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 30.06.2025 समय दोपहर 12:00 बजे तक
3.	आवेदन खोलने से पूर्व आवेदकों के साथ बैठक की तिथि एवं समय	दिनांक 20.06.2025 समय दोपहर 12:00 बजे
4.	आवेदन ऑनलाइन के आवश्यक अर्हता खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 01.07.2025 एवं समय दोपहर 12:00 बजे से, ऑन लाइन, भोपाल दुग्ध संघ
5.	ईएमडी राशि	ईएमडी राशि रू.1,00000/– (राशि रू. एक लाख मात्र) ऑनलाइन जमा करें एवं रसीद संलग्न करें।

उपरोक्त विवरण के अनुसार पहले प्रतिभागी आवेदनकर्ता को उपरोक्त दर्शित वेबसाइट से आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर प्राप्त करना होगा, फिर आवेदन प्रपत्र में दूध परिवहनकर्ता कार्य संबंधी वर्णित सभी आवश्यक अर्हताएं एवं शर्ते विस्तृत रूप से पढ़कर समझ ले एवं इसी के अनुरूप आवेदन प्रपत्र भरकर वांछित दस्तावेजो को संलग्न कर आवेदन प्रपत्र रू. 1000/– ऑनलाइन क्रय कर उक्त की रसीद, ऑनलाइन जमा की गई ईएमडी राशि सहित निर्धारित तिथि एवं समय पर ऑनलाइन अपलोड कर जमा करें। प्राप्त आवेदन प्रपत्र में पहले आवश्यक अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा एवं इसके पश्चात् दूध परिवहनकर्ता नियुक्ति की नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। दुग्ध परिवहनकर्ताओं के टैंकर एक निश्चित बीएमसी मार्ग पर नहीं चलाऐ जाऐंगे। दुग्ध परिवहन का मार्ग कभी भी भोपाल दुग्ध संघ की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। एक परिवहनकर्ता से अधिकतम पांच टैंकर लिए जा सकते है। भोपाल दुग्ध संघ की आवश्यकता अनुसार इनमें कमी अथवा बढ़ोतरी हो सकती है।

किसी भी आवेदन को सकारण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का इसके साथ ही साथ निविदा को निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ को होगा।

दूध परिवहनकर्ता की अनुबंध अवधि प्रथमतः तीन वर्ष हेतु प्रभावशील रहेगी। उक्त अवधि पूर्ण होने पर दूध परिवहनकर्ता का कार्य संतोषप्रद होने की दशा में अनुबंध अवधि एक–एक वर्ष कर निरंतर दो वर्ष हेतु अनुबंध की समान शर्त पर बढ़ाये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पास निहित होगा।

यदि आवेदन में कोई सुधार/संशोधन किया जाता है तो यह केवल उपर दी गई एमपीसीडीएफ, भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर एवं www.mptenders.gov.in प्रकाशित होगा। कोई अन्य माध्यम से प्रकाशित/सूचित नही किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

मूल्य रू. 1000/-

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

बी.एम.सी मार्गों से मिल्क टेंकर तरल दूध परिवहनकर्ता कार्य हेतु आवेदन प्रपत्र

वर्ष 2025-2028

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW

शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

मिल्क टेंकर परिवहनकर्ता कार्य हेतु आवेदन प्रपत्र

1	आवेदन प्रपत्र ऑनलाईन प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक 10.06.2025 को www.mptenders.gov.in से समय 12:00 बजे से
2	आवेदन ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 30.06.2025 समय दोपहर 12:00 बजे तक
3	आवेदन खोलने से पूर्व आवेदकों के साथ बैठक की तिथि, समय एवं स्थान	दिनांक 20.06.2025 समय दोपहर 12:00 बजे, भोपाल दुग्ध संघ, भोपाल के बोर्ड मीटिंग हॉल
4	आवश्यक अर्हता परीक्षण दिनांक, समय एवं स्थान	दिनांक 01.07.2025 एवं समय दोपहर 12:00 बजे से, ऑन लाइन, भोपाल दुग्ध संघ के बोर्ड मीटिंग हॉल में
5	आवेदन के साथ जमा की जाने वाली ई.एम.डी.राशि	रू. 1,00,000/- (एक लाख मात्र) ऑनलाईन डिजीटल पेमेंट के माध्यम से

आवेदन प्रस्तुत करते समय ध्यान रखने योग्य तथ्य :

- आवेदनकर्ता को यह ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि यह केवल ऑनलाईन आवेदन है। अतः आवेदनकर्ता, आवेदन प्रपत्र का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के उपरांत फोटो को स्वप्रमाणित करने के पश्चात् ही आवेदन प्रपत्र भरें एवं आवेदन में मांगे गये समस्त वांछित दस्तावेजों यथा ई.एम.डी. राशि की रसीद भी केवल ऑनलाईन के द्वारा ही स्केन कर अपलोड करें। भौतिक रूप से आवेदन प्रपत्र अमान्य किये जावेंगे तथा ऐसी आवेदन अमान्य होंगे।
- आवेदन स्वीकृत होने की दशा में पात्र आवेदनकर्ता को आवेदन में मांगे गये समस्त दस्तावेंजों की मूल प्रति भोपाल दुग्ध संघ कार्यालय में एक माह के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में दस्तावेज विलंब से जमा करने की दशा में दुग्ध संघ का निणर्य सर्वोपरी होगा।

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)
BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53
FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

प्रपत्र क्र.1

आवश्यक अर्हताऐं

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
भोपाल।

महोदय,

भोपाल दुग्ध संध के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत बी.एम.सी मार्गो से भोपाल दुग्ध संयंत्र तक एवं दुग्ध शीत केन्द्र नरसिंहगढ़, पचौर, शुजालपुर, आष्टा, बैतूल, मुलताई एवं भविष्य में अन्य दुग्ध शीतकेन्द्र तक के लिए दुग्ध परिवहन कार्य हेतु 9000 कि.ग्रा. के इंसूलेटेड वाहन .... मिल्क टेंकर परिवहनकर्ता कार्य हेतु दिनांक .... को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित आवेदन के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्ते एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए है। यदि मेरी आवेदन नियमानुसार स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

स.क्र.	आवश्यक अर्हताए	विवरण	अनिवार्य दस्तावेज
1	आवेदनकर्ता का नाम (फर्म/ कम्पनी/ पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व)		आवेदनकर्ता का नाम (फर्म/ कम्पनी/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व) अंकित करे।
1.1	एकल स्वामित्व/भागीदारी/ कंपनी की ओर से आवेदन भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत हो।		एकल स्वामित्व/कंपनी की ओर से आवेदन में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र/ मुखतारनामा की मूल प्रति जो नोटरी द्वारा सत्यापित व प्रमाणित हो। स्वामी/प्रोपाईटर द्वारा स्वयं आवेदन भरने की स्थिति में आवश्यक नहीं है ।
1.2	आवेदनकर्ता (फर्म/कम्पनी/ एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) का पेन कार्ड नंबर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
1.3	आवेदनकर्ता (फर्म/कम्पनी/ एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) आवेदन प्रपत्र के प्रपत्र क्र. 03 संलग्न करें।		आवेदनकर्ता (फर्म/कम्पनी/ एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) आवेदन प्रपत्र के प्रपत्र क्र.03 संलग्न करें।

स.क्र	आवश्यक अर्हताए	विवरण	अनिवार्य दस्तावेज
1.4	आवेदनकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) को किसी भी शासकीय / अशासकीय / सहकारी संस्था से कभी भी ब्लैक लिस्टेड न किया गया हो तथा पुलिस थाने / मा.न्यायालय में कोई प्रकरण / वाद लंबित नहीं हों।		तदाशय का शपथ पत्र रू 100 / — के नोटराईज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें। आवेदन प्रपत्र के प्रपत्र 04 में प्रारूप संलग्न है।
1.5	आवेदनकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) को 03 वर्ष का दूध परिवहन हेतु मिल्क टेंकर परिवहनकर्ता कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है।		तदाशय का संस्था / कम्पनी द्वारा जारी दूध परिवहन मिल्क टेंकर परिवहनकर्ता कार्य के आदेश अथवा अनुबंध की प्रति संलग्न करें एवं तीन वर्ष के अनुभव की प्रमाणिकता हेतु रू. 100 / — के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर शपथ पत्र संलग्न करें। शपथ पत्र का प्रारूप प्रपत्र क्र.05 पर संलग्न है।
1.6	उपलब्ध वाहन का प्रकार :		प्रपत्र क्रं. 07 में तालिका अनुसार वाहन की जानकारी ऑनलाईन प्रस्तुत की जाये।
1.7	आवेदनकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) दूध परिवहन हेतु मिल्क टेंकर परिवहनकर्ता कार्य का वैध एफ.एस.एस.ए.आई. लायसेंस / पंजीयन की प्रति संलग्न करें।		तदाशय के वैध लायसेंस / पंजीयन की छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न करे।
1.8	आवेदनकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) ई.एम.डी. राशि ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है।		ई.एम.डी राशि रू. 1,00,000 / — (एक लाख रूपये) ऑनलाइन जमा करना होगा। ऑनलाइन निविदा भरते समय जमा की गई ई.एम.डी. राशि की रसीद ऑनलाइन संलग्न करना अनिवार्य है।
1.9	आवेदनकर्ता को (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) वित्तीय वर्ष 2021—22, 2022—23 एवं 2023—24 का आयकर जमा रिर्टन ऑनलाइन संलग्न करना अनिवार्य है।		आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई वित्तीय वर्ष, 2021—22, 2022—23 एवं 2023—24 की आयकर रिर्टन की स्वप्रमाणित छायाप्रति ऑनलाइन संलग्न करना अनिवार्य है।
1.10	आवेदनकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) बैंक का विवरण		चालू खाते की निरस्त चैक की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

नोट :— (1) उक्त समस्त दस्तावेजों की आवेदनकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) को **स्वप्रमाणित प्रतियॉ ऑनलाईन रूप से स्केन कर संलग्न करना अनिवार्य है।**
(2) उपरोक्त दस्तावेजो में से कोई भी दस्तावेज कम पाए जाने पर ऐसे आवेदन अमान्य घोषित होंगे।

हस्ताक्षर ————————————
नाम :— ————————————
पता :————————————
————————————
————————————
टेलीफोन नं.————————————
मोबाईल नं ————————————

बी.एम.सी. समितियों से टेंकर द्वारा दुग्ध परिवहन संबंधी शर्ते एवं नियम :–

1. **भोपाल दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न बी.एम.सी मार्गों से मुख्य संयंत्र भोपाल तक एवं दुग्ध शीतकेन्द्र नरसिंहगढ़, आष्टा, पचौर, शुजालपुर, बैतूल, मुलताई एवं भविष्य में अन्य दुग्ध शीतकेन्द्र तक के लिए दुग्ध परिवहन कार्य तक 9000 कि.ग्रा. तक की क्षमता के इंसुलेटेड मिल्क टेंकर हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदक जिनके पास एक इंसुलेटेड मिल्क टेंकर अथवा एक से अधिक मिल्क टेंकर उपलब्ध हों। वे अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।**
2. **निविदा में आवेदन करते समय निविदाकार के पास में स्वयं के नाम से टैंकर उपलब्ध होना आवश्यक है, जिसकी जानकारी प्रपत्र 07 में आवश्यक रूप से भर कर ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना है।**
3. **ऐसे निविदाकार जिनके पास में निविदा में भाग लेते समय स्वयं के नाम पर टैंकर उपलब्ध नहीं है ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर अमान्य कर दिया जायेगा।**
4. **भोपाल दुग्ध संघ की आवश्यकता से अधिक सफल निविदाकार /टैंकर प्राप्त होने की स्थिति में से लॉटरी के माध्यम से निविदाकार का चयन किया जायेगा।**
5. बी.एम.सी मार्गों से दुग्ध परिवहन हेतु अनुबंधित किए जाने वाले मिल्क टैंकर की परिवहन दर निम्नानुसार रहेगी –

क्रं.	टेंकर की निर्धारित मात्रा **(Base Qty.)**	निर्धारित परिवहन दर प्रति कि.मी. **(Base Rate)**
01	9000 किलोग्राम	रू. 30.00 प्रति किलोमीटर

- 9000 कि.ग्रा. टैंकर की निर्धारित परिवहन दर रू. 30.00 प्रति किलोमीटर को बेस रेट मानते हुए अधिकतम 14000 कि.ग्रा. तक दुग्ध परिवहन करने पर प्रोरेटा के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
- भोपाल दुग्ध संघ की आवश्यकता अनुसार विपरित परिस्थितियों में 9000 कि.ग्रा. से कम दूध परिवहन करने पर 9000 कि.ग्रा. निर्धारित मात्रा अनुसार ही परिवहन दर से भुगतान किया जायेगा।
- दुग्ध परिवहनकर्ताओं के टैंकर एक निश्चित बीएमसी मार्ग पर नहीं चलाऐ जाऐंगे। दुग्ध परिवहन का मार्ग कभी भी भोपाल दुग्ध संघ की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। एक परिवहनकर्ता से अधिकतम पांच टैंकर लिए जा सकते है। भोपाल दुग्ध संघ की आवश्यकता अनुसार इनमें कमी अथवा बढ़ोतरी हो सकती है।

6. अनुबंधित अवधि में सफल परिवहनकर्ता को आवंटित मार्ग में टोल टेक्स का भुगतान वास्तविक साक्ष्यों का परीक्षण करने के पश्चात् किया जाएगा।
7. दुग्ध संकलन कार्य हेतु वाहन मॉडल वर्ष 2020 के पूर्व के नहीं होने चाहिए तथा पंजीयन 2020 अथवा उसके बाद के होने चाहिए। स्वीकृत आवेदक के मिल्क टेंकर स्वयं के नाम से होने चाहिए।
8. **परिवहनकर्ता को निविदा अनुबंध अवधि में भोपाल दुग्ध संघ से अनुबंधित टैंकर को विक्रय करने का अधिकार नहीं होगा। किसी विशेष परिस्थिति में यदि अनुबंधित टैंकर का विक्रय अति आवश्यक हो तो विक्रय करने से पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।**
9. आवेदन स्वीकृती की स्थिति में सफल आवेदनकर्ता को दुग्ध संघ के साथ रू.1000/– के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। अनुबंध प्रपत्र का प्रारूप अवलोकन हेतु प्रपत्र क्र. 06 में संलग्न है। जिसे केवल सफल आवेदनकर्ता को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अतः आवेदनकर्ता अनुबंध प्रपत्र के प्रारूप को आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न न करें।
10. स्वीकृत आवेदक को प्रत्येक टैंकर के लिए बतौर सुरक्षा निधि राशि रू. 5,00,000/– (रू. पॉच लाख) ऑन लाइन आर.टी.जी.एस. अथवा डिमांड ड्रॉफ्ट के माध्यम से जो कि पेयबल एट ''भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल'' के नाम से देय होगा, दुग्ध संघ में जमा करना होगा। ई.एम.डी राशि का समायोजन प्रतिभूति राशि में किया जाएगा। दुग्ध संघ में जमा सुरक्षा निधि राशि पर किसी भी प्रकार का कोई ब्याज देय नही होगा।
11. आवेदन स्वीकृत होने एवं अनुबंध निष्पादित होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर आवेदन निरस्त करने व अन्य किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पास निहित होगा। ईएमडी राशि का सुरक्षा निधि राशि में समायोजन किया जायेगा।
12. **सफल आवेदनकर्ता को दुग्ध संघ में स्वहस्ताक्षरित चेक बुक की प्रति (20 चेक वाली बुक) दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में आवेदन अमान्य कर दिये जाऐंगें। यदि आवेदक के विरूद्ध लेनदारी, कटौत्रा इत्यादि उसकी जमा सुरक्षा निधि से अधिक हो जाती है, तो स्वहस्ताक्षरित चेक (धनादेश) को दुग्ध संघ द्वारा आहरण हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।**

13. आवेदन प्रपत्र के साथ आवेदनकर्ता द्वारा दी गयी जानकारी किसी भी समय यदि असत्य प्रमाणित होती है तो प्रतिभूति राशि राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा साथ ही आवेदनकर्ता के ऐसे आवेदन निरस्त की जाएगी तथा दुग्ध परिवहन कार्य से तत्काल पृथक किया जाकर कार्य आदेश एवं अनुबंध निरस्त किया जाएगा।
14. किसी भी आवेदन को सकारण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का इसके साथ ही साथ निविदा को निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ को होगा।
15. आवेदन स्वीकृति के पश्चात् परिवहनकर्ता का कार्य आदेश दिनांक से तीन वर्षो के लिए प्रभावशील रहेगा। दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तो एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक–एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जावेगी।
16. पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
17. अनुबंधित अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार द्वितीय पक्ष की स्वीकृत परिवहन दरों में वृद्धि/कमी अनुपातिक दर से की जाकर भुगतान में कमी/वृद्धि करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल दुग्ध संघ को होगा।
18. आवेदन प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी परिवर्तन नहीं होगा यदि आवेदन तकनीकी बिड खोलने के लिए निर्धारित तारीख को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित आवेदन के संबंधित दिवस की आवेदन अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर खोली जावेंगी।
19. **सफल आवेदनकर्ता को आवेदन की औपचारिकताएं 15 दिवस की अवधि में पूर्ण करना होगा। यदि कतिपय कारणों से सफल आवेदनकर्ता द्वारा औपचारिकताएं पूरी करने में विलंब किया जाता है तो प्रकरण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल दुग्ध संघ का निर्णय सर्वोपरी होगा।**
20. **प्रतिभागी आवेदनकर्ता आवेदन में चाहे गये समस्त दस्तावेजों को एवं आवेदन की शर्तों को स्वप्रमाणित व स्वहस्ताक्षरित कर संलग्न करें अन्यथा स्वप्रमाणित व स्वहस्ताक्षरित नहीं पाए जाने की स्थिति में ऐसे आवेदनों को अमान्य किया जाएगा।**
21. आवेदनकर्ता परिवहन कार्य संबंधि प्रपत्र क्रं. 01 (तकनीकी अहर्ताएं) में मांगे गए समस्त वांछित दस्तावेजो की प्रति ऑनलाइन संलग्न करें। आवश्यक अर्हताओं के दस्तावेजों में किसी भी प्रकारी की काट छांट न करें एवं ओव्हरराइटिंग न करें। अन्यथा शब्दो में भिन्नता एवं ओव्हरराइटिंग पाये जाने पर ऐसी आवेदन निरस्त होंगी।
22. आवेदन में उल्लेखित दस्तावेजों/लाइसेंस आदि के अतिरिक्त भविष्य में यदि शासन द्वारा जी.एस.टी अथवा अन्य दस्तावेज/लाइसेंस/कानून प्रभावशील किये जाते हैं तो आवेदनकर्ता को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध कराने होंगे/पूर्ण रूपेण पालन करना होगा।
23. कार्य की आवश्कतानुसार टैंकरों को शीतकेंद्रों से भी दुग्ध परिवहन कार्य हेतु भेजा जा सकेगा ।
24. **आवेदनकर्ता को विधिसम्मत उत्तराधिकारी घोषित करना होगा।**
25. **भोपाल दुग्ध संघ द्वारा पूर्व में यदि परिवहनकर्ता/टैंकर को सेवा एवं कार्य के अनुसार असंतोषप्रद पाए जाने पर आवेदन अवधि के पूर्व कार्य से पृथक किया गया है या काली सूची में डाला गया है तो ऐसे परिवहनकर्ता/टैंकर आवेदन में भाग लेने के लिए अपात्र होंगे।**
26. **दुग्ध संघ को संकलन हेतु दो चेम्बर वाले टेंकर की आवश्यकता है। सफल आवेदनकर्ता के पास यदि एक चेम्बर का टेंकर है तो उसे एक माह का समय दिया जाएगा, जिसे वह दो चेम्बर में परिवर्तित कर सके तथा होने वाले व्यय आवेदनकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।**
27. **भोपाल संयंत्र एवं दुग्ध शीतकेन्द्र पर प्राप्त होने वाली दूध की मात्रा, फैट एवं एस.एन.एफ में आई कमी एवं आधिक्य की पृथक–पृथक प्रत्येक दस दिवस में गणना कर प्राप्त होने वाली मात्रा, फैट एवं एस.एन.एफ. की कमी की कटौत्रा राशि उस समय की दूध की क्रय दर के आधार पर परिवहनकर्ता के परिवहन देयकों से प्रतिमाह की जायेगी। इस हेतु परिवहनकर्ता द्वारा दुग्ध संघ में जमा किए गए स्वहस्ताक्षरित चेक, बैंक में आवश्यकता प्रतिपादित होने पर आहरण हेतु प्रस्तुत किए जा सकते हैं।**
28. **भविष्य में बीएमसी से टैंकर में दूध लोड करने की प्रणाली में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है, तो यह प्रणाली परिवहनकर्ता पर बंधनकारी होगी।**
29. किसी माह में यदि दुग्ध संयंत्र स्तर पर अथवा दुग्ध शीतकेन्द्र पर प्राप्त दूध की मात्रा, फैट एवं एस.एन.एफ. की कटौत्रा राशि उस माह के परिवहन देयक से अधिक पायी जाती है तो उक्त राशि को उसी माह में अनिवार्य रूप से जमा करना आवश्यक होगा। ऐसी स्थिति में स्वीकृत परिवहनकर्ता को प्रथम दृष्टया चेतावनी दी जाएगी। पुर्नरावृत्ति होने पर अनुबंध समाप्त करने की कार्यवाही की जाएगी, जो कि परिवहनकर्ता पर बंधनकारी होगी एवं सुरक्षा निधि राशि राजसात कर ली जावेगी।

30. परिवहनकर्ता द्वारा देयक प्रस्तुत करने की दिनांक से सामान्य रूप से 15 दिवस के अंदर भुगतान किया जायेगा। असमान्य परिस्थिति में विलंब होने पर बकाया भुगतान पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
31. यह कि, निविदाकार द्वारा निविदा की शर्तो पर सहमति स्वरूप निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर तथा सील होने पर सील सहित तकनीकी निविदा के साथ संलग्न कर जमा करना अनिवार्य रहेगा, अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

मेरे द्वारा मिल्क टेंकर परिवहनकर्ता की आवेदन एवं अनुबंध की शर्ते पढ़ व समक्ष ली है तथा मैं/हम सभी शर्तो को माननें के लिये सहज तैयार हूं/है। आवेदन में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा आवेदन में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिंदु क्रमांक 01 से 31 तक वर्णित शर्तो को पालन नहीं करता हूं एवं मेरी अर्नेस्टमनी राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मै इस हेतु अपनी सहमती देता/देती हूं।

आवेदनकर्ता का नाम

हस्ताक्षर–

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.
(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)
GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW
शुद्धता का संकल्प
भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)
BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53
FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

प्रपत्र क्रमांक – 3

मिल्क टेंकर परिवहनकर्ता कार्य हेतु आवेदन–प्रपत्र

पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो

1. आवेदनकर्ता का नाम ....
   (फर्म/कम्पनी/पार्टनशिप फर्म/एकल स्वामित्व)
2. पिता/पति का नाम ....
3. स्थाई/वर्तमान पता ....
   ....
   ....
4. दूरभाष/मोबाईल नं. ....
5. ई–मेल एड्रेस ....
6. वर्तमान व्यवसाय (वर्तमान कार्य का विवरण अंकित करें) ....
   ....
7. (अ) पेन नम्बर ....
   (ब) FSSAI ....
   (स) आधार कार्ड नम्बर..

मेरे द्वारा मिल्क टेंकर परिवहनकर्ता कार्य संबंधी इस आवेदन प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ और समझ चुका/चुकी हूं और मान्य करता/करती हूं। इस हेतु मेरे द्वारा शर्ते हस्ताक्षरित कर फार्म के साथ संलग्न की है। आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर
नाम

शपथ पत्र का प्रारूप

(केवल रू. 100/— के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मै/हम .... आत्मज .... आयु .... निवासी .... यह कि मेरे/हमारे द्वारा बीएमसी से मिल्क टेंकर परिवहन कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत की गई है। यह कि मेरे/हमारे द्वारा यह शपथ पत्र अपने पूर्ण होशो हवास में मेरे/हमारे संज्ञान में प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. यह कि मुझे/हमे किसी भी शासकीय/अशासकीय/सहकारी संस्था द्वारा कभी भी किसी भी कार्य से अद्यतन स्थिति तक ब्लैक लिस्टेड नही किया गया है।
2. यह कि मेरा/हमारा अद्यतन स्थिति तक .... (संबद्ध दुग्ध संघ/कंपनी/सहकारी संस्था का नाम अंकित करें) द्वारा किसी भी पुलिस थाने/मा.न्यायालय किसी भी प्रकार का आपराधिक प्रकरण/वाद लंबित नही है।
3. यह कि मेरा/हमारा म.प्र. के सभी दुग्ध संघों एवं म.प्र. के बाहर के दुग्ध संघों, मदर डेयरी इत्यादि संस्थाओं में कभी भी किसी भी प्रकार का दूध चोरी, अपमिश्रण इत्यादि की घटनाओं में संलिप्तता नहीं रही है तथा किसी भी संस्था द्वारा मेरे विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई विधिक कार्यवाही नहीं की गई है।

1. गवाह
   नामः—..
   पताः— ....
   आधारकार्ड नं. ....
   मोबाइल नं..
2. गवाह
   नामः—..
   पताः— ....
   आधारकार्ड नं. ....
   मोबाइल नं..

इति दिनांक .... भोपाल **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 एवं 03 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है। अनुबंधित अवधि में उपरोक्त शपथ कभी भी असत्य पाया जाता है तो दुग्ध संघ प्रबंधन मेरे विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा, जिसमें मैं अपनी सहमति देता हूं।

इति दिनांक .... भोपाल **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**

शपथ पत्र का प्रारूप
(केवल रू. 100/– के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मै/हम .... आत्मज .... आयु .... निवासी .... यह कि स्वप्रमाणित किया जाता है कि मुझे/हमें दूध परिवहनकर्ता कार्य का कुल तीन वर्ष का अनुभव है। मेरे/हमारे ....द्वारा यह शपथ पत्र अपने पूर्ण होशो हवास एवं ईमानदारीपूर्वक प्रस्तुत किया जा रहा है। जो कि पूर्णतया सत्य एवं सही है। यदि अनुबंध अवधि में इस संबंध में मेरे विरूद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत पाई जाती है एवं यह शपथ पत्र कि प्रमाणिकता असत्य पाई जाती है तो दुग्ध संघ प्रबंधन मेरे/हमारे विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए दुग्ध संघ प्रबंधन स्वतंत्र होगा। जिसकी समस्त जवाबदेही मेरी/हमारी स्वयं की होगी।

हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक .... भोपाल   हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....

अनुबंध का प्रारूप (केवल देखने हेतु)
साँची मिल्क टेंकर परिवहनकर्ता कार्य हेतु अनुबंध

यह अनुबंध आज दिनांक.................................... को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, हबीबगंज, भोपाल जिसे आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया जावेगा।

एवं मेसर्स/परिवहनकर्ता .... भोपाल से बतौर मिल्क टेंकर परिवहनकर्ता की हैसियत से दुग्ध संघ द्वारा बीएमसी से दुग्ध परिवहन कार्य के लिए दिनांक .... से दिनांक .... तक अवधि वास्ते अनुबंधित कर हस्ताक्षरित किया गया है। इन्हें आगे बतौर द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया जावेगा। इस अनुबंध के तहत् निम्नलिखित शर्तो के अधीन दुग्ध संघ व मिल्क टेंकर परिवहनकर्ता कार्य संपादित करेंगे।

1. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत् द्वितीय पक्ष को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ का होगा। द्वितीय पक्ष इस अनुबंध के तहत् कार्य नहीं करना चाहता है तो, उसे दुग्ध संघ को तीन माह का लिखित अग्रिम नोटिस मिल्क टेंकर परिवहनकर्ता का कार्य छोड़ने बावत् देना होगा।
2. द्वितीय पक्ष का प्रथम पक्ष के पास बतौर प्रतिभूति राशि के रूप में राशि रू.................. बी.आर क्र.............. दिनांक .... दुग्ध संघ में जमा रहेंगे। दुग्ध संघ में जमा की गई नगद प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
3. द्वितीय पक्ष द्वारा दुग्ध संघ में जमा की गई सुरक्षा निधि राशि, मिल्क टेंकर परिवहनकर्ता कार्य की अवधि पूर्ण होने पर तथा दुग्ध संघ को अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद सुरक्षा निधी वापस करने की कार्यवाही की जाएगी।
4. **यह कि, किसी कारण से यदि संकलन बंद रखा जाता है तो इसकी पूर्व सूचना द्वितीय पक्ष को दी जायेगी एवं ऐसे दिनों का काई भाड़ा देय नहीं होगा।**
5. **यह कि, प्राकृतिक प्रकोप अथवा मानवीय कृत्यों (ऐसे कृत्य जिनके लिए द्वितीय पक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि या उनकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति जिम्मेदार हो, को छोड़कर) जो द्वितीय पक्ष के काबू से बाहर हो, आदि कारणों को छोड़कर वाहन के निश्चित समय पर नहीं आने की दशा में खराब होने वाले दूध की हानि को जो खट्टा होने पर 50 प्रतिशत एवं फटा होने पर 70 प्रतिशत मूल्य का देनदार द्वितीय पक्ष रहेगा। उपरोक्त राशि उसी अवधि के देयक से काट ली जावेगी।**
6. **यह कि, क्रमांक 5 में उल्लेखित प्राकृतिक प्रकोप/द्वितीय पक्ष के काबू से बाहर मानवीय कृत्य, कृत्यों का पंचनामा बनाकर द्वितीय पक्ष द्वारा उसी पाली में कार्यालय में प्रस्तुत किया जावेगा। इसके पश्चात् कार्यालयीन कार्यवाही के उपरान्त काटी गई राशि द्वितीय पक्ष को वापिस की जा सकेगी।**
7. **किसी भी दशा में बीएमसी समितियों से अपमिश्रित दूध टैंकर में लोड न किया जाये, संयंत्र स्तर पर अपमिश्रित दूध प्राप्त होने पर परिवहनकर्ता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।**
8. द्वितीय पक्ष अपने वाहन के अनुरक्षण, डीज़ल व अन्य सभी खर्चों के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा। इस हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम इत्यादि देय नहीं होगा।
9. द्वितीय पक्ष को मिल्क टेंकर परिवहन हेतु आवश्यक स्टाफ मय अधिकृत लायसेंस के साथ रखना होगा तथा संबंधित स्टाफ का पुलिस सत्यापन तथा लायसेंस की प्रति दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। स्टाफ परिवर्तन करने की स्थिति में इसकी अग्रिम सूचना प्रथम पक्ष को आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ देना अनिवार्य होगा।
10. द्वितीय पक्ष आबंटित कार्य किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं करेगा। ऐसा करते पाये जाने पर प्रथम पक्ष बिना कोई नोटिस दिये आवंटित कार्य निरस्त कर सकेगा, तथा उसकी प्रतिभूति राशि राजसात कर सकेगा।
11. दुग्ध संयंत्र एवं शीतकेन्द्रों से बीएमसी समितियों की दूरियां अनुमानित हैं। वास्तविक तय की गई दूरी जिसका भुगतान किया जाना है वह जी.पी.एस के माध्यम से तय की जा सकेगी। जिसके आधार पर ही परिवहन देयकों का भुगतान किया जाएगा। अनुबंध अवधि में आवश्यकता प्रतिपादित होने की स्थिति में किलोमीटर का सत्यापन किया जा सकता है, जिसके आधार पर देयक भुगतान हेतु जो भी कमी अथवा वृद्धि संभावित होगी के अनुसार भुगतान की कार्यवाही की जा सकती है।
12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदायित टेंकर में वॉल्व बॉक्स का होना अनिवार्य है। साथ ही टेंकर मेन होल के ढक्कन के उपर कवर ढक्कन दुग्ध संघ द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार होना अनिवार्य है, जिसमें कोई भी कमी होने पर संबंधित टेंकर को कार्य से पृथक कर दिया जाएगा।
13. द्वितीय पक्ष के प्रत्येक टेंकर में प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के व्यय पर जीपीएस सिस्टम एवं डिजिटल लॉक सेंसर के साथ लगाया जाएगा। जिसका वर्तमान में व्यय रू. 12500/– प्रति टैंकर प्रतिमाह है। भविष्य में टेंकर के लॉकिंग सिस्टम में दुग्ध संघ द्वारा जो भी परिवर्तन किये जाऐंगे उसकी दरें

कम/अधिक होने पर परिवहनकर्ता को मान्य होगा। इससे टेंकर की स्थिति इंटरनेट के माध्यम से देखी जाएगी एवं इसे रिकॉर्ड किया जाएगा। यदि जीपीएस सिस्टम/सेंसर में द्वितीय पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ की जाती है तो प्रथम पक्ष द्वारा रू. 100000/— की पेनल्टी स्वरूप वसूल की जाएगी। पुर्नरावृत्ति पाए जाने पर द्वितीय पक्ष का अनुबंध समाप्त कर, ब्लेक लिस्टेड कर द्वितीय पक्ष की दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जाएगी।

14. बीएमसी समिति में भण्डारित दूध को गेज मार्क से मात्रा को चेक कर तथा दूध गुणवत्ता परीक्षण के उपरांत टेंकर में भरना होगा। निर्धारित सील/लॉक लगाकर तथा सीलों का नम्बर नोट कर एवं दुग्ध के सेम्पल का परीक्षण समिति सचिव के समक्ष करके, उसे दिखाकर तदानुसार डिलीवरी चालान आदि बनाया जाएगा। जिस पर संबंधित प्राप्तकर्ता (परिवहनकर्ता/वाहन चालक/प्रतिनिधि) एवं समिति सचिव/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर होंगे।
15. **परिवहनकर्ता के स्टाफ का यह दायित्व होगा की वह दूध से भरे टेंकर को लेकर निकलने के पूर्व संपूर्ण वांछित कार्य को पूर्ण करना सुनिश्चित करे एवं उसे निर्धारित स्थान पर उसी स्थिति में पहुंचाए, जिससे की दूध मात्रा, फैट एवं एसएनएफ में कोई अंतर नहीं आए। भोपाल संयंत्र एवं दुग्ध शीतकेन्द्र पर प्राप्त होने वाली दूध की मात्रा, फैट एवं एस.एन.एफ में आई कमी एवं आधिक्य की पृथक–पृथक प्रत्येक दस दिवस में गणना कर प्राप्त होने वाली मात्रा, फैट एवं एस.एन.एफ. की कमी की कटौत्रा राशि उस समय की दूध की क्रय दर के आधार पर परिवहनकर्ता के परिवहन देयकों से प्रतिमाह की जायेगी। इस हेतु परिवहनकर्ता द्वारा दुग्ध संघ में जमा किए गए स्वहस्ताक्षरित चेक, बैंक में आवश्यकता प्रतिपादित होने पर आहरण हेतु प्रस्तुत किए जा सकते हैं।**
16. **भविष्य में बीएमसी से टैंकर में दूध लोड करने की प्रणाली में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है, तो यह प्रणाली परिवहनकर्ता पर बंधनकारी होगी।**
17. **परिवहनकर्ता द्वारा देयक प्रस्तुत करने की दिनांक से सामान्य रूप से 15 दिवस के अंदर भुगतान किया जायेगा। असमान्य परिस्थिति में विलंब होने पर बकाया भुगतान पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।**
18. **परिवहनकर्ता को निविदा अनुबंध अवधि में भोपाल दुग्ध संघ से अनुबंधित टैंकर को विक्रय करने का अधिकार नहीं होगा। किसी विशेष परिस्थिति में यदि अनुबंधित टैंकर का विक्रय अति आवश्यक हो तो विक्रय करने से पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।**

15\. विभिन्न बीएमसी से प्राप्त दूध को शीत केन्द्र/संयंत्र द्वारा निर्धारित तौल कांटा पर द्वितीय पक्ष के स्टाफ के समक्ष प्राप्त किए गए वजन अनुसार दूध प्राप्त किया जाएगा।

16\. यदि टेंकर पर लगी सील/लॉक में कोई टेम्परिंग पाई जाती है तो दूध की मात्रा फैट एवं एसएनएफ में अंतर नहीं आने पर भी ऐसी स्थिति में रू. 50000/— का अर्थदण्ड द्वितीय पक्ष पर अधिरोपित किया जाएगा। पुर्नरावृत्ति होने पर अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

17\. दुग्ध टेंकरों के अनुरक्षण जैसे साफ–सफाई, लीकेज/पेंटिंग लॉकिंग व्यवस्था इत्यादि व्यवस्थित रखना आवश्यक होगा। टेंकर के अंदर की सफाई दुग्ध संघ द्वारा की जायेगी। टैंकर की धुलाई हेतु प्रतिमाह राशि रू. 1000/— प्रति टैंकर की कटौती परिवहनकर्ता के मासिक परिवहन देयकों से की जायेगी।

18\. परिवहन के दौरान टेंकर क्षतिग्रस्त होने पर या खराब होने पर, ओवरलोडिंग या अन्य कारणों से अनावश्यक विलंबित होने के कारण यदि दूध की गुणवत्ता या मात्रा में कमी परिलक्षित होती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा एवं समस्त क्षति का कटौत्रा द्वितीय पक्ष के देयक से किया जाएगा।

19\. टैंकर फेल होने पर अन्य टैंकर की व्यवस्था कर दुग्ध का परिवहन करने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा तथा इस परिवर्तन में हुए फैट, एस,एन,एफ एवं दूध मात्रा आदि हानि की राशि वसूली द्वितीय पक्ष से की जाएगी, इस स्थिति में परिवहनकर्ता को दुग्ध संघ कार्यालय से परिवर्तन करने की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।

20\. यदि परिवहन के दौरान टेंकर दुर्घटनाग्रस्त होता है, जिसके परिणामस्वरूप दूध का नुकसान होता है तो हानि की सम्पूर्ण राशि परिवहनकर्ता के देयक से कटौत्रा की जाएगी। इस संदर्भ में आवश्यक बीमा कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

21\. द्वितीय पक्ष के स्टाफ को दुग्ध संयंत्र परिसर में अच्छा आचरण एवं व्यवहार रखना होगा। किसी भी स्थिति में अभद्र आचरण दण्डनीय होगा। टेंकर एवं स्टाफ को दुग्ध संयंत्र परिसर में निर्धारित स्थान पर टेंकर खाली होने तक ही रूकने की अनुमति होगी।

22\. मिल्क टेंकर द्वारा दूध का परिवहन आर.टी.ओ से सत्यापित क्षमता अनुसार होना आवश्यक है। 9000 लीटर क्षमता के अधीन रहते हुए आर.टी.ओ से सत्यापित क्षमता का प्रोरेटा भुगतान किया जाएगा। टैंकर के बैरल में किसी भी स्थित में छेड़खानी परिवहनकर्ता द्वारा नहीं की जावेगी। दुग्ध टेंक (बैरल) बदलने हेतु इसकी पूर्व अनुमति प्रथम पक्ष से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। किसी भी दशा में प्रथम पक्ष से अनुमति प्राप्त किए बिना टेंकर का बैरल बदला नहीं जाएगा। यदि बिना अनुमति के द्वितीय पक्ष द्वारा बैरल बदला जाता है तो अनुबंध निरस्त कर, प्रतिभूति राशि राजसात कर ब्लेकलिस्ट करने की कार्यवाही करने हेतु अधिकार प्रथम पक्ष के पास निहित होगा। जो कि द्वितीय पक्ष पर बंधनकारी होगा।

23. द्वितीय पक्ष को परिवहन कार्य प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित मार्ग से ही करना होगा। अन्य मार्ग से टेंकर का आना–जाना पाए जाने की स्थिति में प्रथम दृष्टया रू. 100000/– का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा। पुर्नरावृत्ति पाए जाने पर द्वितीय पक्ष की दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ब्लेकलिस्टेड कर दिया जाएगा। जिसकी संपूर्ण जवाबदेही द्वितीय पक्ष की होगी।
24. दुग्ध संघ कार्यालय द्वारा टेंकरों की निगरानी हेतु गठित समिति के सदस्यों को द्वितीय पक्ष के स्टाफ द्वारा पूर्ण सहयोग देना अनिवार्य होगा।
25. द्वितीय पक्ष को वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन बनवाना आवश्यक होगा, साथ ही प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित गणवेश पहनना अनिवार्य होगा। समस्त व्ययों का वहन परिवहनकर्ता को करना होगा।
26. द्वितीय पक्ष के द्वारा टेंकर पर निम्नानुसार लिखवाना आवश्यक होगा, नहीं लिखवाने पर प्रथम पक्ष द्वारा लिखवाये जाने पर होने वाले समस्त व्ययों का कटौत्रा द्वितीय पक्ष के देयक से कर लिया जाएगा, जो द्वितीय पक्ष पर बंधनकारी होगा।
   (i) टैंकर के पीछे ''दुग्ध विक्रय हेतु नहीं है।'
   (ii) टैंकर के दोनों ओर ''यदि इस टैंकर से मार्ग पर दूध निकालते हुए देखा जाये तो कृपया .... नम्बर पर सूचित करें। (नंबर टेंडर फाइनल करने पर बताया जावेगा।)
   (iii) दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो के विज्ञापन टैंकर पर लिखवाना अनिवार्य होगा।
   (iV) वाहन ठेकेदार को अपने वाहन पर सॉची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद की पेंटिंग/स्टीकर संघ द्वारा दिये गये नमूने अनुसार स्वयं के व्यय पर कराना होगी, अन्यथा दुग्ध संघ द्वारा लेखन कार्य कराने पर व्यय हुई राशि परिवहनकर्ता के देयक से कटौत्रा की जावेगी।
27. समस्त वैधानिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति द्वितीय पक्ष द्वारा करना आवश्यक होगा।
28. नियमानुसार द्वितीय पक्ष के देयक से आयकर एवं अधिभार का कटौत्रा नियमानुसार किया जावेगा। आयकर अधिकारी द्वारा कटौत्रा न करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही इसमें छूट मिलेगी।
29. द्वितीय पक्ष को भोपाल दुग्ध संघ के साथ रूपये 1000/– के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना अनिवार्य होगा साथ ही दुग्ध संघ की नाममात्र की सदस्यता रूपये 100/–जमाकर सदस्यता प्राप्त करनी होगी, किन्तु मतदान इत्यादि की पात्रता नहीं होगी।
30. डीजल की दरों में वृद्धि या कमी होने पर परिवहन दरों में समानुपातिक वृद्धि अथवा कमी की जा सकेगी। इसकी गणना निम्नानुसार की जावेगी :–

    9000 किग्रा क्षमता ––––– 5 km/lit

    ……………………………………..

31. द्वितीय पक्ष को परिवहन के दौरान आवश्यकता होने पर मौखिक मांग अनुसार अतिरिक्त टैंकर समय पर उपलब्ध करवाना होगें ।
32. परिवहन के दौरान दुग्ध संघ द्वारा गठित निगरानी समिति, अन्य व्यक्ति प्रशासन एवं पुलिस द्वारा दूध की चोरी करते पकड़ा जाता है तो आर्थिक **दण्ड रू.5,00,000**/– के साथ–साथ द्वितीय पक्ष एवं उसके वाहन चालक, टैंकर एवं समस्त स्टाफ के विरूद्ध संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जावेगी तथा अनुबंध समाप्त कर द्वितीय पक्ष, टैंकर, वाहन चालक एवं समस्त स्टाफ को ब्लैक लिस्ट कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी, तथा दुग्ध संघ को हुई अन्य हानियाँ द्वितीय पक्ष के देयकों एवं स्वहस्ताक्षरित धनादेश को बैंक में आहरण हेतु प्रस्तुत कर वसूल की जायेगी।
33. परिवहन के दौरान रास्ते में टैंकर किसी भी ढाबे या मुख्य मार्ग से हटकर किसी भी स्थान पर अनावश्यक खड़ा नहीं होगा तथा संघ द्वारा निर्धारित मार्ग से ही जाना होगा। यदि जी.पी.एस. लोकेशन में यह पाया जाता है कि टैंकर शंकास्पद स्थान अथवा निर्धारित मार्ग से अलग स्थान पर खड़ा है अथवा परिवहन कर रहा है तो रू.1,00,000/– का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा। किसी विशेष परिस्थिति में मार्ग बदलने पर उसकी सूचना दुग्ध संघ कार्यालय को देकर अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
34. यह कि टैंकर में सील अथवा लॉक करने के सभी पार्टस लगे हो ताकि टैंकर दूध लोड करने के पश्चात लॉक किया जा सके ।
35. सामान्य परिस्थिति में टैंकर सांय 09:00 बजे के पूर्व मुख्य संयंत्र में पहुंचना अनिवार्य होगा किन्तु परिवहन के दौरान प्राकृतिक कारणों अथवा अन्य किसी कारण से हुये मार्ग अवरोध की दशा में द्वितीय पक्ष की जिम्मेदारी होगी कि वे संबंधित द्वितीय श्रेणी शासकीय अधिकारी अथवा नजदीकी पुलिस थाने से उसका प्रमाण पत्र प्राप्त कर दुग्ध संघ में प्रस्तुत करें तथा **महाप्रबंधक (सं.सं.)** के निर्देशानुसार दूध को समय पर डेरी प्लांट में पहुँचाये अथवा प्राप्तकर्ता डेयरी तक पहुँचाये, यह सामयिक स्थिति पर निर्भर करेगा।
36. यह कि किसी भी विवाद हेतु न्यायिक क्षेत्र भोपाल रहेगा।
37. यह कि अनुबंध की अवधि के दौरान अनुबंध की शर्तो में परिवर्तन/संशोधन किये जाने का संपूर्ण अधिकार आपसी सहमति से मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा ।

38. द्वितीय पक्ष को एक कम्प्रीहेंसिव बीमा पालिसी वाहनों एवं उसके स्टाफ हेतु लेना अनिवार्य होगी। द्वितीय पक्ष का यह दायित्व होगा की आर.टी.ओ द्वारा निर्धारित टैक्स, फीस, ड्यूटीज समय पर जमा करें तथा वाहन चालक के पास निर्धारित लाइसेंस होना आवश्यक है। मोटर व्हीकल ऐक्ट के अनुसार यदि कोई कमी पाई जाती है और दुर्घटना के कारण कोई नुकसान होता है तो इसकी पूर्ण जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी ना कि प्रथम पक्ष की। साथ ही इन कारणों से प्रथम पक्ष को होने वाली क्षति की वसूली भी द्वितीय पक्ष से की जायेगी।

39. आवेदन में वर्णित शर्तो के अनुरूप सेवाएं प्रदान न करने की दशा में क्षतिपूर्ति निम्नानुसार देय होगी :

क्रमांक	विलंब की अवधि	क्षतिपूर्ति राशि
01	01 माह तक	लागत का 01 प्रतिशत
02	01 से 02 माह तक	लागत का 02 प्रतिशत
03	02 माह से अधिक	लागत का 05 प्रतिशत

40. किसी भी प्रकरण में द्वितीय पक्ष एवं प्रथम पक्ष के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

41. आवेदन पत्र के प्रपत्र क्रं. 02 में वर्णित नियम व शर्तें इस अनुबंध के भाग माने जाएंगे एवं बंधनकारी होंगे।

42. **यह कि, निविदाकार द्वारा निविदा की शर्तो पर सहमति स्वरूप निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर तथा सील होने पर सील सहित तकनीकी निविदा के साथ संलग्न कर जमा करना अनिवार्य रहेगा, अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।**

मैं .... पिता/पति/पत्नी... तरल दूध परिवहनकर्ता अपना उत्तराधिकारी (नॉमिनी) श्री/श्रीमति... को घोषित करता/ करती हूँ।

तरल दूध परिवहनकर्ता के हस्ताक्षर ....

प्रभारी (संयंत्र संचालन)
भोपाल सह.दुग्ध संघ

नाम...
मर्या.
पता..
....

1.गवाह के हस्ताक्षर ....
नाम एवं पताः–.................................
....
....

2.गवाह के हस्ताक्षर ....
नाम एवं पताः–....................................
....
....

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

वाहन संबंधी सूचना :—

क्रं.	टैंकर की पंजीयन संख्या	व्यक्ति का नाम जिसके नाम पर टैंकर पंजीकृत है।	पंजीयन अनुसार भरे टैंकर की भार क्षमता	पंजीयन अनुसार खाली टैंकर की भार क्षमता	पंजीयन अनुसार टैंकर की बेरल क्षमता	वाहन मॉडल
1						
2						
3						
4						
5						

नोट — वाहन मॉडल वर्ष 2020 से पूर्व के नहीं होना चाहिये।

मैं यह सत्य निष्ठापूर्वक यह घोषणा करता हूॅ कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज मेरे ध्यान के अनुसार सत्य सही व पूर्ण है। इनमें किसी भी प्रकार की त्रृटी होने पर निविदा निरस्त होने के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहुॅगा। संघ द्वारा मेरी निविदा बिना कारण बताये निरस्त किये जाने अथवा आंशिकरूप से स्वीकार किये जाने का मुझे कोई आपत्ति नहीं है तथा मेने निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर
नाम

रोड मिल्क टेंकर आवश्यकता संबंधी विवरण

क्रं.	टैकर की क्षमता	कार्य नियोजन	टैंकरो की अनुमानित मांग (संख्या)
1	9000 कि.ग्रा.,	विभिन्न बीएमसी समितियों से मुख्य संयंत्र भोपाल हेतु एवं दुग्ध शीत केन्द्र नरसिंहगढ़, पचौर, शुजालपुर, आष्टा, बैतूल, मुलताई एवं भविष्य में अन्य दुग्ध शीतकेन्द्र तक के लिए दुग्ध परिवहन कार्य हेतु इंसुलेटेड मिल्क टैंकर	50
		कुल	50 टैंकर

टीप :– 1. मॉग के अनुरूप टैंकर्स की संख्या कम या अधिक हो सकती है।

2. बीएमसी मार्गो की दूरी अनुमानित है, इसमें कमी एवं बढ़ोतरी हो सकती है। देयकों का भुगतान जीपीएस के द्वारा दर्शायी गई दूरी के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
3. भविष्य में बीएमसी मार्गो में समितियों की संख्या में कमी एवं बढ़ोतरी हो सकती है।
4. दुग्ध परिवहनकर्ताओं के टैंकर एक निश्चित बीएमसी मार्ग पर नहीं चलाऐ जाऐंगे। दुग्ध परिवहन का मार्ग कभी भी भोपाल दुग्ध संघ की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। एक परिवहनकर्ता से अधिकतम पांच टैंकर लिए जा सकते है। भोपाल दुग्ध संघ की आवश्यकता अनुसार इनमें कमी अथवा बढ़ोतरी हो सकती है।